UPSH010010452026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–494/2026

मुस्तकीम खॉ आयु लगभग 65 वर्ष पुत्र महीमदुल्ला खॉ, निवासी ग्राम–लौहरगवॉ, थाना–लौहरगवॉ, थाना–निगोही, जिला–शाहजहॉपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन।

मुकदमा अ0सं0–58/2026,
धारा–105 भारतीय न्याय संहिता व
धारा–3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–निगोही, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांक–11.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **मुस्तकीम खॉ** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पैरोकार विलाल खॉ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मामले में दिनांक 10.02.2026 से जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न ही पूर्व में खारिज हुआ है।

न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस का तामीला पर्याप्त होने व पर्याप्त समय प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वादी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सत्यपाल द्वारा दिनांक 07.02.2026 को समय 14:06 बजे सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी कि उसके खेत से लगा हुआ, मुस्तकीम खॉ पुत्र महीमदुल्ला खॉ, मुकीम खॉ, फहीम खॉ व वसीम खॉ पुत्रगण मुस्तकीम खॉ, निवासी ग्राम–लौहरगवॉ, थाना–निगोही का खेत है तथा ये सभी लोग उस खेत में कृषि कार्य करते हैं। उपरोक्त सभी लोगों ने षड्यंत्र करके खेत की मेड़ पर बिजली के तार लगा दिये थे तथा उन तारों में बिजली लाईन से करंट जोड़ दिया था। उसने उपरोक्त सभी लोगों से कई बार कहा कि उन तारों में बिजली का करंट छोड़ना बन्द करें, लेकिन उक्त लोगों ने बिजली का करंट बन्द नहीं किया। दिनांक 06.02.2026 को समय 10:30 बजे उसकी लड़की रागिनी देवी उम्र 12 वर्ष अपने खेत पर गयी थी और जैसे ही वह मेड़ पर चलने लगी तो उक्त लोगों द्वारा तारों में छोड़े गये बिजली के करंट से उसकी लड़की की मौत हो गयी।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूँठा फॅसाया गया है। उसको अभियोजन कथानक का कोई ज्ञान नहीं रहा है। उसके विरूद्ध कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.03.11 16:58:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है और न ही वह पूर्व दण्डित अपराधी है। वह लगभग 65 वर्षीय बीमार व वृद्ध व्यक्ति है तथा हृदय रोग से पीड़ित है और उसका ईलाज काफी समय से अवध मेमोरियल हॉस्पिटल, पीलीभीत से चल रहा है। वह उक्त कथित घटना में किसी प्रकार से लिप्त नहीं रहा है। उक्त कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच–समझकर विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी की पुत्री का चिकित्सीय परीक्षण, अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करता है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही अभियोजन साक्षी को हैरान व परेशान करेगा तथा नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष हाजिर आता रहेगा। उक्त आधारों पर अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने खेत की मेड़ पर तार लगाकर, उनमें करंट छोड़ दिया गया, जिससे अनुसूचित जाति के वादी की पुत्री रागिनी की मृत्यु हो गयी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी ने अभियुक्त पर यह आक्षेप लगाया है कि अभियुक्त ने अपने खेत की मेड़ पर तार लगाकर, उनमें करंट छोड़ दिया था, जिससे उसकी पुत्री की बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गयी।

केस डायरी के परिशीलन से विदित होता है कि विवेचना के दौरान विवेचक ने इस आशय की साक्ष्य एकत्रित की है कि घटना के समय वादी का पुत्र देवेन्द्र, मृतका के साथ खेत पर मौजूद था। विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा संख्या–2 में चश्मदीद साक्षी के रूप में देवेन्द्र का बयान अंकित किया है। चश्मदीद साक्षी देवेन्द्र ने अपने बयान में मुख्यतः यह कथन किये हैं कि ''मुस्तकीम के खेत में लगे बिजली के खम्भे से, खेत के चारों तरफ लगे तारों में बोर्ड से डायरेक्ट बिजली का तार जोड़ दिया था––मैं भी अपनी बहन के साथ खेत में पेड़ लगा रहा था। मेरी बहन को करंट लग गया। जब मेरी बहन को करंट लगा तो मैंने फरूआ मारा तो मुझे भी करंट का झटका लग गया, तब मेरी बहन छूटी। मैं उस समय मौके पर ही था।''

इस प्रकार चश्मदीद साक्षी ने घटना का समर्थन करते हुये, बयान दिया है। विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा संख्या–4 में मृतका की मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विवरण अंकित किया गया है, जिसके अनुसार मृतका के शरीर पर विद्युत करंट से आये हुये, दो घाव पाये गये हैं तथा मृतका की मृत्यु का कारण "Syncope Antemortem Electric Shock" वर्णित है। मामला गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मामले की प्रकृति व गम्भीरता एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त **मुस्तकीम खॉ** का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–105 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **मुस्तकीम खॉ** की ओर से मुकदमा अ0सं0–58/2026, अन्तर्गत धारा–105 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना–निगोही, जिला–शाहजहॉपुर के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

आदेश की प्रति ई–मेल के माध्यम से जिला कारागार, शाहजहॉपुर को प्रेषित की जाये।

दिनांकः 11.03.2026

(अभय प्रताप सिंह–I)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6315